FORM No. 111

फर्द अहकाम

(नियम 16)

अदालत उपखण्ड अधिकारी रूपवास मुकाम रूपबास , जिला भरतपुर

ललित वगै. बनाम निशा

नम्बर मुकदमा प्रा.पत्र 212 R.T.A नं0 264 सन् 2025

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/2025	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अन्तर्गत धारा 212 R.T.A के तहत पेश किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । अप्रार्थीगण की तलवी जरिये सम्यक रजिस्टर्ड नोटिस से की जाकर पत्रावली दिनांक 12/12/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रूपबास	
12/12/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 10/2/26 को पेश हो।	
10/2/26	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 11/2/26 को पेश हो।	
11/2/26	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 27/2/26 को पेश हो।	
27/2/26	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद सूचना न्यायालय समय में उपस्थित नहीं आये अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
	अमल में लाई जाती है प्रार्थी के अभि० की एकपक्षीय बहस सुनी गई और उन्होंने प्रार्थी के अभि० ने प्रा०पत्र स्वीकार किये जाने की मांग की है प्रा०पत्र का अवलोकन किया गया प्रार्थी के अभि० के तर्कों पर मनन किया गया। प्रा०पत्र स्वीकार किया जाना न्याय हित है अतः प्रा०पत्र 212 RTA स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा तारोज फैसला वाद तक जारी करके अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि वह वि० आ० ख० नं 305/0.3200, 335/0.4100 हैक्टे० वाके ग्राम नयागाँव तह० कपवास मे मौके की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दा० उत्तर हो कुल वाद के साथ पुनः है